

37/11/2021
24/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
जगदीश चंद्र शर्मा शर्मा फ. ल	ना	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
नरेश चंद्र शर्मा	म	

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 190/2021 GCMS No. 2021/903

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

24/11/2021

वादी श्री जगदीश चंद्र शर्मा शर्मा फ. ल निवासी शर्मा द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत शर्मा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-76 ग्राम शर्मा पटवार मण्डल हनुमानगढ़ के खाता नम्बर 386 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि

जगदीश चंद्र शर्मा शर्मा फ. ल नरेश चंद्र शर्मा दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम शरीफ ज्ञानी फारुखाना शर्मा शर्मा तथा इसी अनुसार प्रविष्टि करीबने श्री ज्ञानी फारुखाना है, राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 5733 1073-1171, 6284 8836 1187 आधार नम्बर 6365-1053-1546

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज फ. ल फ. ल 36/2001 दि. 29.5.2001 प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंघा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

